संख्या–25 चार–एल/XXXVI(1)/2007

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 8 जनवरी, 2008

विषय– श्री पूरन सिंह बोहरा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला नैनीताल का कार्यकाल बढ़ाया जाना ।

महोदय,

कृपया श्री पूरन सिंह बोहरा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), नैनीताल का कार्यकाल दिनांक 17.10.2007 से अग्रेतर एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 16.10.2008 तक बढ़ाये जाने विषयक शासनादेश संख्या 18–चार–एल/ XXXVI(1)/2007 दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री बोहरा का कार्यकाल दिनांक 17.10.2007 से अग्रेत्तर 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 16.10.2012 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या–18 चार–एल/XXXVI(1)/2007 दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 निरस्त किया जाता है ।

3 उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के श्री बोहरा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), जिला नैनीताल के पद पर उनकी आबद्धता समाप्त कर सकती है तथा श्री बोहरा इस आशय का सहमति प्रमाण–पत्र भी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इस शर्त में कोई आपत्ति नहीं है ।

4 कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव,

संख्या–25 (1)/चार–एल/XXXVI(1)/2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला न्यायाधीश, नैनीताल ।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

3– सम्बन्धित अधिवक्ता ।

4– निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/एन०आई०सी०/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,